न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 29 / 20 GCMS Id : 2020 / 00041

जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद आत्मज मदारबख्श, जाति गुरालगान, निवासी कोटसुंआ, तहसील दीगोद, जिला कोटा – (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज०टी०ए०
बाबत घोषणा, दुरूस्ती

उपस्थिति : श्री महेन्द्र गोचर, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 01.05.2024

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा व राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 246 रकबा 1.78 हैक्टर वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते दर्ज है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा निहित है।

~ उपरोक्त आराजी की जमाबन्दी में वादी का नाम जाकिर मोहम्मद दर्ज चला आ रहा है, जो गलत है जबकि वदी का नाम जाकिर हुसैन है तथा वादी को जाकिर हुसैन के नाम से ही पुकारते है व जाना जाता है।

~ वादी के वोटर आई.डी. कार्ड व आधार कार्ड तथा पंचायत तस्दीक के अनुसार वादी का नाम जाकिर हुसैन है।

~ इस कारण राजस्व रिकार्ड में जाकिर मोहम्मद के स्थान पर जाकिर हुसैन दर्ज किया जाना आवश्यक है।

~ वाद कारण, प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम जाकिर हुसैन के स्थान पर जाकिर मोहम्मद दर्ज करने पर तथा दिनांक 16.06.2020 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः ग्राम घघटाना, तहसील लाडपरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 246 रकबा 1.76 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जाकिर मोहम्मद के स्थान पर जाकिर हुसैन दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री प्रदान की जावे। प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जावे।

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये –

1. नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर 246, ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2. वोटर आई.डी. पहचान पत्र संख्या RJ/14/109/35036 की फोटोप्रति।
3. आधार कार्ड संख्या 5106.0772.9469 की फोटोप्रति।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत कोटसुंआ, तहसील दीगोद का प्रमाण पत्र।
5. नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर 1226, 1421 ग्राम कोटसुंआ, तहसील दीगोद, कोटा।

3- वादी के ग्राम कोटसुंआ, तहसील दीगोद, जिला कोटा कोटा का निवासी होने के कारण तहसीलदार, तहसील दीगोद, जिला कोटा से वादीपत्र के अंकित कथनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई जिसमें अवगत कराया गया कि –

- मुताबिक जमाबन्दी ग्राम कोटसुंआ संवत 2075–78 खाता संख्या 116 खसरा नम्बर

1788/1279 रकबा 2.40 हैक्टर जाकिर हुसैन पुत्र मदारबक्स हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. देह, रहिन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मानसगांव दर्ज रिकार्ड है।

- उक्त प्रकरण में ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा वादी का नाम हिस्सा 1/3 में जाकिर मोहम्मद पुत्र मदारबक्स दर्ज है। अतः वादी जाकिर हुसैन व जाकिर मोहम्मद एक ही व्यक्ति है।

4- वादी अभिभाषक द्वारा अपनी एकपक्षीय बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि – ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 246 रकबा 1. 78 हैक्टर वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते दर्ज है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा निहित है। उपरोक्त आराजी की जमाबन्दी में वादी का गलत नाम जाकिर मोहम्मद दर्ज हो रहा है जबकि वदी का वास्तविक नाम जाकिर हुसैन है तथा वादी को जाकिर हुसैन के नाम से ही पुकारते है। वादी के वोटर आई.डी. कार्ड व आधार कार्ड में वादी का नाम जाकिर हुसैन ही दर्ज है। ग्राम कोटसुंआ, तहसील दीगोद, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1226, 1421 में भी वादी का नाम जाकिर हुसैन ही दर्ज है। तहसीलदार, दीगोद और सरपंच, ग्राम पंचायत कोटसुंआ, तहसील दीगोद द्वारा भी वादी के नाम दुरूस्ती की अनुशंसा की गई है। अतः निवेदन है कि ग्राम घघटाना, तहसील लाडपरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 246 रकबा 1.76 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जाकिर मोहम्मद के स्थान पर जाकिर हुसैन दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 1.78 हैक्टर में वादी का नाम जाकिर मोहम्मद वल्द मदारबक्श दर्ज है। वादी के भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र संख्या RJ/14/109/0135036 तथा आधार कार्ड संख्या 5106 0772 9469 में वादी का नाम जाकिर हुसैन दर्ज है। ग्राम कोटसुंवा, पटवार हल्का नीमोदा, तहसील दीगोद, जिला कोटा के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 1229, 1421 तथा इसी ग्राम की अन्य आराजी खसरा नम्बर 1788/1279 में वादी का नाम जाकिर हुसैन पुत्र मदारबक्श ही दर्ज है। सरपंच, ग्राम पंचायत कोटसुंवा, पंचायत समिति सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला कोटा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17.03.2020 में जाकिर हुसैन व जाकिर मोहम्मद एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित करते हुये राजस्व रिकार्ड में जाकिर मोहम्मद को जाकिर हुसैन के नाम से शुद्धिकरण करने की अनुशंसा की गई है। तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 में भी ग्रामवासी, धनराज, रामावतार, नन्दकिशोर के साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर जाकिर मोहम्मद व जाकिर हुसैन एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 1.78 हैक्टर में वादी का नाम जाकिर मोहम्मद वल्द मदारबक्श के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद वल्द मदारबक्श दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 01.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

1/5/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

बउनवान :–

जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद आत्मज मदारबख्श, जाति मुसलमान, निवासी कोटसुंवा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 29 / 20
निर्णय दिनांक : 01-05-2024

GCMS id : 2020 / 00041

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री महेन्द्र गोचर की उपस्थिति में वादपत्र के कथनों पर बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 01–05–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 1.78 हैक्टर में वादी का नाम जाकिर मोहम्मद वल्द मदारबक्श के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद वल्द मदारबक्श दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 01 मई, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया		प्रतिवादी	रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	